29/04/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० हैं। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी जाकर संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन, मनन किया गया। बहस में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि से कोई संबंध नहीं रखते हैं एवं आपस में विवाद भी नहीं चाहते हैं। ख० नं० 2064 व 2062 की राजस्व नक्शे ट्रेसशीट में इनकी सीमा की नाप करवाकर, मौके पर सीमा कायम करवाकर नक्शे में संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रस्तुत विस्तृत बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा; जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस, जवाब (१ ले 5) आदि के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अं० धा० 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या-1 का जवाब बंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित होकर शामिल मिसल है। तकमील पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2024.10.30 12:30:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner